प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)

रिट याचिका . क्र.388/1999

याचिकाकर्ता : गजानंद थवाईत, आयु- लगभग 45 वर्ष, पिता डॉ. एल.पी. थवाईत, निवासी दयालबंद, गुरुद्वारा-दयालबंद के पास, तहसील व जिला बिलासपुर (म.प्र.)

बनाम

प्रत्यर्थी:- 1. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम), द्वारा-प्रबंध निदेशक सौधा, 23/1, चौथा मेन, एस.आर. नगर, बेंगलुरु-560 027.

2. निदेशक (विपणन) भारत अर्थ लवर्स लिमिटेड, सौधा, 23/1, चौथा मेन, एस.आर. नगर, बेंगलुरु-560 027.

3. प्रबंध निदेशक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, सौदना, 23/1, चौथा मेन, एस.आर. नगर, बेंगलुरु-560 027।

4. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, सिरिगिट्टी, बिलासपुर (म.प्र.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्प्रेषण रिट, परमादेश / अधिकार पकुच्छा इत्यादि की प्रकृति में आदेश अथवा निर्देश हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अन्तर्गत याचिका।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 388/1999

गजानंद थवाईत

बनाम

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड व अन्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.08.2005 हेतु

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 388/1999

गजानंद थवाईत

बनाम

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड व अन्य

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कुमारी संगीता मिश्रा, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता

श्री पी.एस.कोशी, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता

निर्णय

(16.08.2005)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

1. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 29.9.1992 दिनांकित दंड के आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उत्तरवादी -कंपनी के स्थायी आदेशों के कण्डिका 22.2 (iii) के तहत सेवाओं से हटा दिया गया था। उसने विभागीय जांच में लगाए गए उपरोक्त दंड के विरूद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.1998 की वैधता को भी चुनौती दी है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे आगे बीईएमएल के नाम से संदर्भित किया जाएगा, जो भारत सरकार का उपक्रम है, के सिरिगिटी, बिलासपुर स्थित सेवा केंद्र में स्टोर क्लर्क के पद पर कार्यरत था। उसे दिनांक 10.10.1991 को एक आरोप-पत्र दिया गया था

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

जिसमें आरोप लगाया गया था कि 04.10.1991 को सुबह लगभग 5 बजे उसे बिलासपुर में पुलिस ने बी० ई०एम०एल० स्टोर्स के कुछ स्पेयर पार्टर्स (कलपुर्जो) के साथ पकड़ा था। जिन्हें वह अनाधिकृत रूप से ले जा रहा था। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त कृत्य के कारण याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा होने तक अभिरक्षा में रखा गया था और चोरी के आरोप में याचिकाकर्ता के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा ले जाए जा रहे स्पेयर पार्ट्स की पहचान बी.ई.एम.एल. अधिकारियों ने की थी। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के पास इन वस्तुओं को ले जाने का न तो कोई अधिकार था और न ही उसे बी.ई.एम.एल. स्टोर्स, बिलासपुर से इन स्पेयर पार्ट्स को ले जाने की कोई अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता का उपरोक्त कृत्य कंपनी के स्थायी आदेश के खंड 21.39 के तहत कदाचार के बराबर है और इसके लिए उससे जवाब मांगा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए तथा कुछ आधारों पर आरोप पत्र की वैधता को चुनौती देते हुए अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद, उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विविध याचिका क्रमांक 1249/1992 में भी इसकी वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि आरोप पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं किया गया तथा कथित चोरी के आरोप को साबित करने वाले गवाहों के नाम का खुलासा नहीं किया गया, कथित रूप से चोरी किए गए स्पेयर पार्ट्स का उल्लेख नहीं किया गया, उक्त चोरी की अवधि तथा समय का भी उल्लेख नहीं किया

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

गया, इसलिए आरोप अस्पष्ट हैं तथा उक्त आरोपों के आधार पर उसे कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त याचिका का 16.04.1992 को यह आदेश पारित करते हुए निपटारा कर दिया कि कंपनी पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा अन्य दस्तावेजों की सूची के साथ निर्धारित प्रारूप में आरोप पत्र जारी करेगी। याचिकाकर्ता को गवाहों की सूची दी जाएगी और फिर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

4. इसके बाद याचिकाकर्ता को 3 जून 1992 को एक और आरोप-पत्र जारी किया गया। यह एक विस्तृत आरोप पत्र था जिसमें 4 आरोप शामिल थे जिसमें स्टोर से गायब वस्तुओं का विवरण दिया गया था और साथ ही उन वस्तुओं का भी विवरण दिया गया था जिन्हें चुराया गया था और 5 अक्टूबर 1991 को पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के कब्जे में पाया गया था। आरोप पत्र में प्रबंधन द्वारा भरोसा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची और आरोपों को साबित करने के लिए पेश किए जाने वाले गवाहों की सूची भी शामिल है। याचिकाकर्ता द्वारा एक उत्तर दायर किया गया और उसके बाद एक जांच समिति नियुक्त की गई और याचिकाकर्ता को उसके विरूद्ध प्रस्तावित जांच कार्यवाही में एक सहकर्मी की सहायता लेने के लिए भी कहा गया। यह बात याचिकाकर्ता को 14.7.1992 दिनांकित पत्र के माध्यम से बताई गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उपर्युक्त संचार प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपने बचाव के उद्देश्य से कुछ दस्तावेजों की मांग करते हुए 22.7.1992 दिनांकित एक आवेदन (अनुलग्नक पी-7) प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, उसने समिति के समक्ष विभागीय जांच में उनकी सहायता के लिए बचाव सहायक के रूप में श्री

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

आर.पी. सिंह, सहायक ग्रेड-I (एम), भारतीय खाद्य निगम, बिलासपुर को नियुक्त करने की भी प्रार्थना की। बाद में उसने 29.7.1992 दिनांकित एक स्मरण पत्र (अनुलग्नक पी-8) प्रेषित किया, जिसमें उक्त श्री आर.पी. सिंह को उनके बचाव सहायक के रूप में नियुक्त करने के लिए वही प्रार्थना दोहराई गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा 29.7.1992 दिनांकित एक और आवेदन (अनुलग्नक पी-9) दायर किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि चूंकि उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इसलिए वह प्रबंधन के साक्षियों/गवाहों का प्रति-परीक्षण करने में समर्थ नहीं होगा, इसलिए न्याय के हित में जांच स्थगित की जाए। यद्यपि , जांच शुरू हुई और इन दस्तावेजों की आपूर्ति और एफसीआई के श्री आर.पी. सिंह की नियुक्ति के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया। जांच के दौरान, सबसे पहले 29.7.1992 को प्रबंधन ने श्री पी. पवन मूर्ति, वरिष्ठ प्रबंधक (स्टोर) और श्री डी. उमेश भट्ट, सहायक प्रबंधक का परीक्षण किया । याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि श्री पवन मूर्ति से प्रति-परीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता ने विवाद्यक के तथ्यों से लिए प्रासंगिक कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समिति ने मनमाने तरीके से अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त स्थिति में उन्होंने 29.7.1992 को एक आवेदन (अनुलग्नक पी -10) दायर किया लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। जांच समिति की उपरोक्त कार्यवाही से व्यथित होने के कारण, याचिकाकर्ता ने इसके बाद की पूरी जांच की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

30.7.1992 को जब याचिकाकर्ता जांच की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ, तो उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और अन्य दो गवाहों को जो सूचीबद्ध नहीं थे, पेश किया गया, अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता की पीठ पीछे उनका परीक्षण किया गया और अंततः 13.8.1992 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता को प्रमाणित स्थायी आदेश की कण्डिका 21.39 के तहत कदाचार के आरोपों का दोषी ठहराया गया।

6. जांच समिति द्वारा दर्ज निष्कर्षों से सहमत होकर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को 28.8.1992 को प्रस्तावित दंड का नोटिस दिया, जिसका जवाब याचिकाकर्ता ने 15.9.1992 को दिया। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 29.09.1992 को सजा का विवाहित आदेश पारित किया अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित। उक्त आदेशों के विरूद्ध याचिकाकर्ता ने अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, किन्तु जब काफी समय तक उक्त अपील पर निर्णय नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता को म.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी, जिसमें दिनांक 23.3.1998 को आदेश पारित कर अपील प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता की लंबित अपील पर इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 माह की बाह्य सीमा के भीतर निर्णय ले। उक्त आदेश पारित होने के पश्चात अपील प्राधिकारी ने दिनांक 16.10.1998 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की अपील का निर्णय किया। अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपील प्राधिकारी के इन आदेशों के विरूद्ध याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश गलत है क्योंकि यह एक जांच रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और जांच प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए की गई। उन्होंने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

(1) याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां उसे उपलब्ध नहीं कराई गईं;

(2) भारतीय खाद्य निगम के श्री आर.पी.सिंह, जिन्हें याचिकाकर्ता के बचाव सहायक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव था, समिति द्वारा नियुक्त नहीं किया गया;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) समिति द्वारा गवाह पी.पवना मूर्ति से प्रति-परीक्षण करते समय विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया गया;

(4) इन सभी कारणों से याचिकाकर्ता ने जांच की आगे की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और वह प्रबंधन द्वारा परीक्षित अन्य गवाहों से प्रति-परीक्षण नहीं कर सका;

(5) कुछ अन्य गवाहों, जिनका उल्लेख आरोप पत्र में नहीं किया गया था, को याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के पश्चात उसकी पीठ पीछे से पूछताछ करने की अनुमति दी गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि लगभग उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर याचिकाकर्ता को दाण्डिक मामले में 23.06.1997 को दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए उसे विभागीय कार्यवाही में भी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

दोषमुक्त किया जाना चाहिए तथा उसकी याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीयों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जांच निष्पक्ष और उचित तरीके से की गई थी। याचिकाकर्ता को प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां दी गईं, जिनके आधार पर आरोप तय किए गए थे और जिन्हें आरोप पत्र में आधार बनाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज इस जांच के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उन्हें अस्वीकार करना उचित था। एफ.सी.आई. के श्री आर.पी. सिंह की रक्षा सहायक के रूप में नियुक्ति को भी अस्वीकार करना उचित था, क्योंकि निर्दिष्ट स्थायी आदेश के तहत किसी अन्य विभाग के व्यक्ति को रक्षा सहायक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना था। जहां तक प्रति-परीक्षण में पूछे गए प्रश्नों का सवाल है, याचिकाकर्ता को गवाह श्री पी.पवना मूर्ति से सभी प्रासंगिक प्रश्न पूछने का पूरा अवसर दिया गया था। आपत्ति निराधार थी और उसे खारिज करना उचित था। याचिकाकर्ता को उचित नोटिस दिए जाने के बाद भी वह जांच से अनुपस्थित रहा, इसलिए उसे इस आधार पर भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दो अतिरिक्त गवाहों की जांच के संबंध में एकपक्षीय कार्यवाही के बाद याचिकाकर्ता की पीठ पीछे, विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उनकी जांच के बाद याचिकाकर्ता को विधिवत सूचित किया गया था, लेकिन वह जांच के लिए नहीं आया। उन्होंने आगे दलील दी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार निराधार और अस्थिर हैं। जहां तक दाण्डिक मामले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

का सवाल है, विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि दाण्डिक मामले के निष्कर्ष घरेलू जांच की कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि दोनों कार्यवाही स्वतंत्र प्रकृति की हैं। जहां तक इस विभागीय जांच के परिणाम का सवाल है, दाण्डिक मामले में दोषमुक्त होने से याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

10. सबसे पहले, मैं प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से संबंधित आधारों पर विचार कर रहा हूँ। **स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ आदि, एआईआर 1981 एस.सी. 818** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के अर्थ पर विस्तार से चर्चा की है और कहा है कि "वाक्यांश स्थिर और सटीक परिभाषा के योग्य नहीं है। इसे एक कच्चे लोहे के सूत्र के अनमय-सूत्र में कैद नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से, "प्राकृतिक न्याय" का उपयोग इस तरह से किया गया है "जिसका तात्पर्य स्व-स्पष्ट और निर्विवाद सत्य के नैतिक सिद्धांतों के अस्तित्व से है", पॉल जैक्सन द्वारा प्राकृतिक न्याय, दूसरा संस्करण, पृष्ठ 1। समय के साथ, ब्रिटिश न्यायशास्त्र की परंपराओं में पले-बढ़े न्यायाधीशों ने अक्सर इसे "समानता और अच्छे विवेक" के संदर्भ के साथ जोड़कर लागू किया। पिछली पीढ़ी के कानूनी विशेषज्ञों ने "प्राकृतिक न्याय" और "प्राकृतिक कानून" के बीच कोई अंतर नहीं किया और "प्राकृतिक न्याय" को "प्राकृतिक कानून का वह हिस्सा माना जाता था जो न्याय के प्रशासन से संबंधित है कहा जाता है कि, "न्याय मूलतः प्राकृतिक आदर्शों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

और मानवीय मूल्यों पर आधारित है, इसलिए न्याय प्रशासन को संकीर्ण और प्रतिबंधित विचारों से मुक्त कर दिया गया है, जो आमतौर पर एक सुनियोजित कानून बनाने, भाषाई तकनीकी और व्याकरण संबंधी बारीकियों से जुड़े होते हैं। प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। चूंकि वे स्वयं में साध्य नहीं हैं, बल्कि साध्य का साधन हैं, इसलिए ऐसे नियमों की विस्तृत सूची बनाना संभव नहीं है।

11. दस्तावेजों की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में, **चंद्रमा तिवारी बनाम भारत संघ, एआईआर 1988 एस.सी. 117** के मामले से निपटते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "तथ्यों और परिस्थितियों को पूरी तरह से समझना मुश्किल है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या बचाव के उचित अवसर से वंचित कर सकते हैं। इस प्रश्न को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि एक अपराधी अधिकारी केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है, जिसमें जांच या प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान की प्रति या किसी अन्य दस्तावेज की प्रति शामिल हो सकती है, जिस पर आरोपों के समर्थन में भरोसा किया जा सकता है। यदि किसी दस्तावेज का आरोपों से कोई संबंध नहीं है या यदि जांच अधिकारी द्वारा आरोपों का समर्थन करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जाता है, या यदि जांच के दौरान गवाहों की प्रति-परीक्षण के लिए ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य आवश्यक नहीं थी, तो अधिकारी इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि वह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

दस्तावेज या साक्ष्य की प्रति प्राप्त करे ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों की प्रति के अभाव में दोषी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध न कराना जो प्रासंगिक नहीं हैं और जिनका आरोपों से कोई संबंध नहीं है या जिन पर जांच अधिकारी ने आरोपों के समर्थन में भरोसा नहीं किया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है।

12. यदि हम इन सिद्धांतों के आधार पर मांगे गए दस्तावेजों की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता के मामले की जांच करें, तो यह प्रतीत होगा कि याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए 22.7.1992 को अनुलग्नक पी-7 के तहत अपना आवेदन दायर किया था। इस आवेदन के विवरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 03.10.1991 और 04.10.1991 को कर्तव्य पर तैनात सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति रजिस्टर की मांग की थी। उन्होंने 03.10.1991 को स्टोर सेक्शन से जुड़े श्रमिकों की उपस्थिति रजिस्टर की भी मांग की थी। उन्होंने 01.01.1991 से 05.10.1991 तक की अवधि के लिए मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड द्वारा बनाए गए आउटवर्ड रजिस्टर और 01.1.1991 से 07.10.1991 की अवधि के दौरान स्पेयर पार्ट्स डिपो, बिलासपुर में माल की प्राप्ति और उसके जारी होने की तिथिवार जानकारी देने वाले सी.सी. नोट रजिस्टर की भी मांग की थी। याचिकाकर्ता ने माल की प्राप्ति, उसके भंडारण और निपटान के खातों के रखरखाव के संबंध में बीईएमएल मुख्यालय, बेंगलुरू के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियमों/प्रक्रिया/निर्देशों तथा सहायक प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा उनके आदेशों की अवहेलना के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए जारी किए गए पत्र/ज्ञापनों और अंत में चोरी के मामलों की स्थिति में पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के संबंध में बीईएमएल मुख्यालय, बेंगलुरू के निर्देशों की भी मांग की थी।

13. इनमें से कोई भी दस्तावेज आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है और न ही इनका उल्लेख प्रबंधन द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए भरोसा किए जाने वाले दस्तावेजों के रूप में किया गया है। आरोप पत्र के पेज 3 से पता चलता है कि प्रबंधन ने पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर भरोसा किया था और स्टोर के उपस्थिति रजिस्टर पर भी भरोसा किया था और इन दस्तावेजों की प्रतियां याचिकाकर्ता को सौंप दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने बीईएमएल के स्टोर में स्पेयर पार्ट्स की कमी के संबंध में अपनी बेगुनाही दिखाने के लिए इन दस्तावेजों की मांग की थी। आरोप पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप संख्या 3 के अनुसार 14 लेख गायब पाए गए थे, जिसके लिए याचिकाकर्ता को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। दिनांक 13.6.1992 को इस आरोप के अपने उत्तर में याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा था कि स्टोर से उन लेखों के गायब होने के आरोप झूठे हैं। उन्होंने खुद इस आरोप का खंडन करते हुए विभाग के लोगों के विरूद्ध विभिन्न आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के कब्जे से बरामद उपरोक्त 14 वस्तुओं से संबंधित आरोप संख्या 4 के जवाब में याचिकाकर्ता ने इस बात से स्पष्ट रूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

से इनकार नहीं किया कि ये वस्तुएं उसके कब्जे से नहीं मिलीं या वह इन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा था। उसने केवल इतना कहा है कि एक पूर्व-निर्धारित योजना के तहत निहित स्वार्थों के सहयोग से चक्रभाटा पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है और धारा 380 और 457 भा०द०स० के तहत मामला दर्ज किया है। याचिकाकर्ता ने अपने शब्दों में कहा था कि "चूंकि मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है, इसलिए मुझे इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं कहना है"। उन्होंने आगे कहा था कि इस आरोप के संबंध में प्रबंधन ने दिनांक 11.03.2014 की चार्जशीट में सूचीबद्ध केवल दो दस्तावेजों पर भरोसा करने का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, 03.6.1992 को, उनका मानना था कि इस मामले में कोई अतिरिक्त दस्तावेज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और यदि अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रकट किया जाना चाहिए। इस उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 22.7.1992 के अपने आवेदन के माध्यम से मांगे गए दस्तावेज इस मामले में अप्रासंगिक हैं। याचिकाकर्ता के विरूद्ध लगाए गए मुख्य आरोप चोरी के आरोप थे, जो पुलिस द्वारा कंपनी के 14 लेखों के उसके कब्जे में पाए जाने के आधार पर लगाए गए थे, जिनका उल्लेख आरोप पत्र में किया गया था और इनसे इनकार करने या उनके कब्जे से इनकार करने के लिए ये दस्तावेज कैसे प्रासंगिक हैं, याचिकाकर्ता द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया था। उनके द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज बीईएमएल के विभिन्न निर्देश या पत्र या नियम थे, जिनका उल्लेख भी आरोप पत्र में नहीं किया गया है और न ही याचिकाकर्ता के विरूद्ध उनका इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। यदि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

दस्तावेजों का उपयोग याचिकाकर्ता के विरूद्ध नहीं किया जाता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आधार आकर्षित नहीं होता है। दस्तावेजों की आपूर्ति न करने के मामले में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन केवल तभी होता है जब मांगे गए दस्तावेज़ का उपयोग उसके विरूद्ध दोषी पाए जाने के निष्कर्ष को दर्ज करने में किया जाता है या उपयोग करने का प्रस्ताव है। ऊपर उल्लिखित तथ्यों के आधार पर, यह स्पष्ट होगा कि दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति के लिए आवेदन केवल "महत्वपूर्ण" और "प्रासंगिक" दस्तावेजों तक ही सीमित है और जांच केवल तभी विफल होगी जब "महत्वपूर्ण" और प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति न किए जाने से, जब मांग की गई हो, कर्मचारी को नुकसान हो सकता है। याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष अपने आरोपों का बचाव करने के लिए कोई भी बचाव स्थापित करने की योजना बना सकता है, लेकिन उसे मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस इनकार के कारण कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इससे उसके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि दस्तावेज "महत्वपूर्ण" या "प्रासंगिक दस्तावेज" नहीं है और इसका उपयोग याचिकाकर्ता के विरूद्ध नहीं किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उन दस्तावेजों की प्रतियां देने से इनकार करने से जांच प्रभावित हुई है। आवेदन (अनुलग्नक पी-7) में याचिकाकर्ता के बचाव के अनुसार कोई भी दस्तावेज प्रासंगिक या महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, इसलिए इन दस्तावेजों की प्रतियां देने से इनकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। जांच समिति ने 29.7.1992 की नोट शीट (पेपर बुक का पेज 45) में भी इस पहलू पर विचार किया है, यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मानते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित दस्तावेज 13.6.1992 की चार्जशीट में नहीं दर्शाए गए हैं और जब भी कार्यवाही के दौरान साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे और अभियोजन पक्ष जांच समिति के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, तो प्रतियां याचिकाकर्ता को दी जाएंगी ताकि वह अपना मामला बचा सके।

14. अब मैं इस मामले में भारतीय खाद्य निगम के सहायक ग्रेड-1 श्री आर.पी. सिंह को बचाव सहायक नियुक्त करने से इंकार करने के आधार पर विचार करूंगा। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-7 के अंतिम भाग में अनुरोध किया है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी उन्हें बीईएमएल, बिलासपुर में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो इस जांच में उनकी सहायता कर सके और इस कारण से उन्होंने श्री आर.पी. सिंह का नाम प्रस्तावित किया है जो भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी थे। इस प्रार्थना को अनुशासन समिति ने 29.7.1992 को खारिज कर दिया है। यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले में लागू स्थायी आदेश के अनुसार वह केवल बी.ई.एम.एल./बी.ई.एम.एल. एस.ए., के किसी कर्मचारी या किसी पदाधिकारी की सहायता ले सकता है। बी.ई.एम.एल./बी.ई.एम.एल. एस.ए., इसलिए भारतीय खाद्य निगम के किसी कर्मचारी से सहायता लेने की अनुमति नहीं दी गई। इस न्यायालय की राय में यदि इस मामले में लागू प्रासंगिक नियम/स्थायी आदेश किसी अन्य विभाग से रक्षा सहायक की नियुक्ति की अनुमति नहीं देता है, तो अनुशासन समिति द्वारा याचिकाकर्ता के ऐसे अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन नहीं होगा और अनुशासन समिति ने इस मामले में सही दृष्टिकोण अपनाया है।

15. अब श्री पी. पवन मूर्ति की प्रति-परीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्नों को न पूछे जाने को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री पवन मूर्ति की याचिकाकर्ता द्वारा विस्तार से प्रति-परीक्षण की गई थी और प्रति परीक्षा समाप्त होने के बाद बयान पत्र में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

"श्री गजानंद थवाईत ने कहा है कि प्रति परीक्षा में उन्हें वरिष्ठ प्रबंधक श्री पी. पवन मूर्ति से और कुछ नहीं पूछना है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस बयान को दर्ज करने के बाद, दोबारा जांच की गई जिसे "शून्य" के रूप में चिह्नित किया गया और उसके बाद इसे पढ़ा गया, हिंदी में अनुवाद किया गया और "सही माना गया" के रूप में चिह्नित किया गया। इस बयान पत्र पर श्री गजानंद थवाईत के हस्ताक्षर हैं (कृपया पेपर बुक का पृष्ठ 48 देखें)। इस दस्तावेज के आधार पर, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वयं इस अदालत में दायर किया है, मेरा मानना है कि जांच समिति ने इस गवाह की प्रति-परीक्षण पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा दायर अनुलग्नक पी -10 में निहित उपरोक्त आपत्ति को सही रूप से खारिज कर दिया है। इस आवेदन पर समिति का निर्णय आदेश की निरंतरता शीट के पृष्ठ 8 पर दर्ज किया गया है। कार्यवाही जो पेपर बुक के पेज नंबर 52 पर दायर की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि यह आवेदन बाद में विचार करके बनाया गया था और यह दिखाने के लिए आपत्ति के लिए दायर किया गया था कि इस मामले में प्रति-परीक्षण का पूरा अवसर नहीं दिया गया था। अन्यथा, श्री पवन मूर्ति

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

की प्रति-परीक्षण पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता के पास ऐसा बयान देने और उस दिन की बयान शीट पर अपने हस्ताक्षर करके ऐसी घोषणा करने का कोई कारण नहीं था। मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि यह रिकॉर्ड पर स्थापित नहीं है कि ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और जांच समिति द्वारा मनमाने ढंग से खारिज कर दिए गए थे।

16. अब अगला बिंदु मैं विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के भाग न लेने के बारे में ले रहा हूं। यदि हम 29.07.1992 की कार्यवाही की जांच करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री पवन मूर्ति की प्रति-परीक्षण समाप्त होने और श्री डी.उमेश भट्ट की मुख्य जांच पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ता की उपरोक्त आपत्ति का निपटारा कर दिया गया था और समिति की कार्यवाही 30.7.1992 को सुबह 9 बजे के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस कार्यवाही पर याचिकाकर्ता को छोड़कर सभी संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। फिर यह फिर से दर्ज किया गया कि गजानंद थवाईत ने कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और जांच समिति की बैठक से बाहर चले गए। इसके बाद सभी सदस्यों के हस्ताक्षरों का एक और सेट है। इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता को स्थगित कार्यवाही की तारीख और समय के बारे में पूरी जानकारी थी और उसे जांच के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक था। समिति द्वारा दिनांक 30.7.1992 को प्रातः 9 बजे जांच पूरी की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त तिथि को याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

जांच उसकी अनुपस्थिति में पूरी की गई। अब प्रश्न यह उठता है कि जांच की अगली तिथि पर याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति उचित थी या नहीं? यदि याचिकाकर्ता को 29.7.1992 की जांच में भाग लेने के कारण जांच की स्थगित तिथि और समय का ज्ञान था, तो निष्पक्षता से याचिकाकर्ता को अगली तिथि पर उपस्थित होना और कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक था। यदि याचिकाकर्ता अपने नियंत्रण से परे किसी पर्याप्त कारण से कार्यवाही में शामिल होने में असमर्थ था, तो उसे जांच समिति को इसकी सूचना देनी चाहिए थी और स्थगन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। यह सब याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। इसके विपरीत, उन्होंने 29.7.1992 की अंतिम आदेश शीट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और जांच की आगे की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने और भाग नहीं लेने का विकल्प चुना। याचिकाकर्ता के इस आचरण से पता चलता है कि उन्होंने जांच में भाग नहीं लेने का फैसला किया था और 30.7.1992 को और जांच की अगली तारीख को जानबूझकर अनुपस्थित रहे। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में जांच की आगे की कार्यवाही की गई और उसके बाद एक जांच रिपोर्ट दायर की गई। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, चूंकि याचिकाकर्ता ने सुनवाई की स्थगित तारीख के बारे में जानने और नोट शीट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद भी अपनी इच्छा से जांच की कार्यवाही में भाग नहीं लिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ता जांच में जानबूझकर असहयोग करने के बाद प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आधार उठा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

17.अंतिम आधार जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के बारे में तर्क दिया है वह यह है कि दो गवाह आर.के. चौहान, पूर्व सूबेदार और लक्ष्मण प्रसाद, सुरक्षा गार्ड को आरोप पत्र में गवाह के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था और जांच समिति ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही करने के बाद उसकी पीठ पीछे इन गवाहों के बयान दर्ज किए। मैंने आरोप-पत्र पढा है / का परिशीलन किया है। यह सही है कि इन दो गवाहों को आरोप पत्र में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। जांच रिपोर्ट की कण्डिका 14 से पता चलता है कि 3 सूचीबद्ध गवाहों की परीक्षा के बाद, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने जांच समिति से इन दो गवाहों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था और समिति ने इसकी अनुमति दी थी। 30.7.1992 को समिति द्वारा दी गई इस अनुमति के बाद, इन दो गवाहों, जो आरोप पत्र में सूचीबद्ध नहीं थे, का परीक्ष्ज्ञण किया गया । जांच रिपोर्ट की कण्डिका 17 की विषय-वस्तु आगे दर्शाती है कि 30.7.1992 की कार्यवाही पूरी होने के बाद, 30.7.1992 को जांच की कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां जांच समिति की कार्यवाही के साथ याचिकाकर्ता को भेजी गई थीं ताकि उसे अपना पक्ष रखने का एक और अवसर मिल सके। यह भी प्रतीत होता है कि उसे सूचित किया गया था कि कार्यवाही 31.7.1992 तक स्थगित कर दी गई है। कण्डिका 18 दर्शाती है कि जब याचिकाकर्ता 31.7.1992 को भी उपस्थित नहीं हुआ, तो कार्यवाही बंद कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या समिति द्वारा याचिकाकर्ता की पीठ पीछे 30.7.1992 को इन दो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

अतिरिक्त गवाहों के बयान दर्ज करना और उनके बयान दर्ज करने के बाद केवल याचिकाकर्ता को अवगत कराने के लिए एक ज्ञापन भेजना और फिर याचिकाकर्ता को बुलाया जाना न्यायोचित था। इस न्यायालय की राय में, समिति द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया उचित नहीं थी।

18. यह सही है कि कंपनी के स्थायी आदेश में जांच करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर, याचिकाकर्ता की पीठ पीछे इन अतिरिक्त गवाहों के बयान दर्ज करना समिति के लिए उचित नहीं था, जिनका आरोप पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था। यदि हम इस संबंध में इस राज्य के साथ-साथ मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित अन्य वैधानिक नियमों में प्रावधानों को देखें, उदाहरण के लिए, **मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966**, जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों में ऐसे प्रावधान करते समय, कर्मचारी के हितों की हमेशा रक्षा की गई है। ऊपर संदर्भित उक्त नियमों में, नियम 15 ऐसी स्थिति से संबंधित है और इसमें यह प्रावधान है कि यदि जांच अधिकारी अपने विवेक से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सरकारी कर्मचारी को दी गई सूची में शामिल न किए गए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है या कोई नया साक्ष्य बुलाया जाता है या किसी गवाह को वापस बुलाया जाता है या उसकी फिर से जांच की जाती है, तो ऐसी स्थिति में, यदि सरकारी कर्मचारी इसकी मांग करता है, तो उसे पेश किए जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्य की सूची की एक प्रति और ऐसे नए साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले 3 स्पष्ट दिनों के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

जांच स्थगित करने का अधिकार होगा, जिसमें स्थगन का दिन और जांच स्थगित करने का दिन शामिल नहीं है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी सरकारी कर्मचारी को अभिलेख पर लिए जाने से पहले ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर देगा। इसके बाद, जांच अधिकारी सरकारी कर्मचारी को नया साक्ष्य पेश करने की अनुमति भी दे सकता है यदि उसकी राय में ऐसा साक्ष्य पेश करना न्याय के हित में आवश्यक है। इस नियम में अंतर्निहित सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि किसी भी बात को अप्रत्याशित नहीं माना जा सकता है और यदि कोई नया साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जाती है, तो अपचारी को उसका खंडन करने का पूरा अवसर दिया जाएगा और कर्मचारी के हितों की रक्षा की जाएगी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वर्तमान मामले में, यदि समिति की राय थी कि इन अतिरिक्त गवाहों को परीक्षा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, तो समिति के लिए यह आवश्यक था कि वह जांच को स्थगित कर दे और याचिकाकर्ता को उनके साक्ष्य दर्ज करने से पहले गवाहों की सूची के साथ एक नोटिस जारी करे ताकि याचिकाकर्ता को उसके विरूद्ध इस्तेमाल किए जाने वाले नए साक्ष्य के बारे में जानकारी हो सके और उसे उन गवाहों से प्रति-परीक्षण करने का अवसर मिल सके। समिति द्वारा पहले से दर्ज किए गए बयानों की प्रतियों के साथ केवल एक ज्ञापन भेजना समिति द्वारा एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि उनकी जांच के बाद याचिकाकर्ता के लिए कुछ नहीं बचता। हालांकि याचिकाकर्ता, जिसने 29.7.1992 को अपनी गलती के बावजूद जांच छोड़ दी थी, को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि किसी अगली तारीख को दो और नए गवाहों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की जांच की जाएगी। याचिकाकर्ता को अतिरिक्त साक्ष्य लेने के बारे में सूचित न करना और उसकी पीठ पीछे एकतरफा अतिरिक्त साक्ष्य लेना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, अगर हम 29.7.1992 को याचिकाकर्ता की मौजूदगी में दर्ज डी. उमेश भट्ट के बयान की जांच करें, तो ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को इस गवाह से प्रति-परीक्षण करने का कोई मौका नहीं दिया गया। उसका बयान अनुलग्नक पी-4 के रूप में दायर किया गया है जो उक्त तिथि की कार्यवाही में पेज 5 से शुरू होकर पेज 7 पर समाप्त होता है, लेकिन उसके बयान में यह समर्थन नहीं किया गया है कि क्या याचिकाकर्ता को उससे प्रति-परीक्षण करने के लिए बुलाया गया था और उसने वास्तव में उक्त गवाह से प्रति-परीक्षण की है या उससे प्रति-परीक्षण करने से इनकार कर दिया है। इस अनुलग्नक के पेज 8 से पता चलता है कि श्री डी. उमेश भट्ट की परीक्षा समाप्त करने के बाद याचिकाकर्ता ने इस दिन आयोजित श्री पी. पवन मूर्ति की प्रति-परीक्षण के दौरान उसके प्रश्नों को अस्वीकार करने के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज की थी, जिस पर अंततः समिति ने निर्णय लिया था लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता को श्री डी. उमेश भट्ट से प्रति-परीक्षण करने के लिए बुलाया गया था या उसने इस गवाह से प्रति-परीक्षण करने से इनकार कर दिया है। इस तरह का किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं है। इसलिए, तथ्य यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता ने 29.7.1992 को डी. उमेश भट्ट की परीक्षा में भाग लिया था, उसे इस गवाह से प्रति-परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया और उसके बाद, पवन मूर्ति की प्रति-परीक्षण में प्रश्नों को अस्वीकार करने के लिए उसके आवेदन (अनुलग्नक पी -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

10) को अस्वीकार कर दिया गया और याचिकाकर्ता जांच समिति की बैठक से बाहर चला गया और बाद की तारीख पर नहीं आया, जिस पर समिति ने आरोप पत्र में उद्धृत नहीं किए गए दो अतिरिक्त गवाहों को एकतरफा अनुमति दी और उनकी परीक्षा उसकी पीठ पीछे आयोजित की गई।

19. मैंने पहले ही माना है कि याचिकाकर्ता ने 29.7.1992 के बाद जांच में जानबूझकर असहयोग दिखाया है, लेकिन जब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा नए गवाहों को अनुपस्थिति में उद्धृत किया गया था याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण एकतरफा कार्यवाही करने के बाद तथा बाद में कार्यवाही के लिए अजीबोगरीब अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनुरोध को स्वीकार करने और दूसरे पक्ष को नोटिस न देने तथा आगे की जांच जारी रखने के बाद, इस न्यायालय की राय में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मूल अवधारणा के विपरीत थे तथा इस आधार पर जांच गलत साबित हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अब याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता को दाण्डिक प्रकरण में बरी कर दिया गया है, इसलिए उसे इस जांच से भी मुक्त किया जाना चाहिए, मैं इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। यह स्थापित विधि है कि अनुशासनात्मक जांच में दाण्डिक न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दाण्डिक न्यायालय में दोष साबित करने के लिए आवश्यक सबूत के सख्त बोझ की अनुशासनात्मक कार्यवाही में आवश्यकता नहीं है। इन दोनों कार्यवाहियों का दायरा अलग-अलग है और उन्हें स्वतंत्र रूप से भी जारी रखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस प्रतिपादन का

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

आधार यह है कि दाण्डिक मामले और विभागीय कार्यवाही में कार्यवाही अलग-अलग और अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में संचालित होती है। विभागीय कार्यवाही में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दिमाग में काम करने वाले कारक कई हो सकते हैं, जैसे अनुशासन लागू करना, या अपराधी या अन्य कर्मचारियों की ईमानदारी के स्तर की जांच करना। उन कार्यवाहियों में अपेक्षित साक्ष्य का जो मानक होता है वह दाण्डिक मामले में अपेक्षित साक्ष्य के मानक से भिन्न होता है । विभागीय कार्यवाही में, साक्ष्य का मानक संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित घेरा है, जबकि दाण्डिक प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। कृपया **(1999) 3 एससीसी 679 (कैप्टन एम. पॉल एंथनी-बनाम-भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और अन्य) और (2004) 6 एससीसी 482 (इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद-बनाम-विद्या वारिध** मिश्रा) देखें। उपरोक्त को दिष्टगत रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए यह आधार उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. निष्कर्ष में, चूंकि मैंने विभागीय जांच की कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण इस आधार पर दोषपूर्ण माना है कि याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना कुछ नए गवाहों को प्रस्तावित किया गया था और उनकी पीठ पीछे जांच की अनुमति दी गई थी, इसलिए परिणाम यह है कि 29.9.1992 दिनांकित आक्षेपित दण्ड के आदेश और 16.10.1998 दिनांकित अपील आदेश को अपास्त किया जाता है।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

आदेशों को अपास्त किए जाने के परिणामों का पालन होगा । याचिका स्वीकार की जाती है। यद्यपि, वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है ।

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश
16.08.2005

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by- Palak gupta